मोहनलाल वगैरह बनाम जगनसिंह वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज प्र० क्र० - 192/2017	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म से जारी हुए
28-1-18	पक्षकारान ... अनुपस्थित/ ... /अन्य कार्य में व्यस्त/ ... है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14-2-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14-2-18	पक्षकारान ... अनुपस्थित/ ... /अन्य कार्य में व्यस्त/ ... है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28-2-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28-2-18	पक्षकारान ... अनुपस्थित/ ... /अन्य कार्य में व्यस्त/ ... है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8-3-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
8-3-18	पक्षकारान ... अनुपस्थित/ ... /अन्य कार्य में व्यस्त/ ... है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-3-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23-3-18	पक्षकारान ... अनुपस्थित/ ... /अन्य कार्य में व्यस्त/ ... है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7-5-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7-5-18	... न्याय आपके द्वार अभियान ... 8 ... जयपुर ... की पालना ... निर्देश ... 7-5-18 से ... में पत्रावली ... कल्याणपुरा ... कैम्प को ... दिनांक 18-5-18 ... दिनांक एवं स्थान पर ... आदेश जारी हो। (हस्ताक्षर)	
18.05.2018 पत्थरगढ़ी की जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मोहनलाल उम्मेदसिंह जैसाराम घासीराम	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प- कल्याणपुरा (थोई) में पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थीगण में से मोहनलाल, उम्मेदसिंह, जैसाराम, घासीराम ने उपस्थित होकर प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने बाबत निवेदन किया है। प्रकरण में अप्रार्थी न. 1 व 3 की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश हो चूका है व	

Scanned by CamScanner

मोहनलाल वगै० बनाम जगदीश वगै०

म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु०नं० - 192/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	अप्रार्थी न. 2 की ओर से दिनांक 14.12.17 को वकालतनामा पेश करने हेतु अण्डरटेकिंग दी हुई है लेकिन आदिनांक तक वकालतनामा पेश नहीं किया गया है। प्रकरण पत्थरगढ़ी से सम्बन्धित है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा नम्बर 840 रकबा 0.40 हैक्टर तन् ग्राम ढ़ाणी करमली का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.11.2017 के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया है। मौके पर उपस्थित तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि सीमा चिन्हों को बिना रद्दोबदल किये पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने बाबत अवगत कराया। प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2073–76, नजरी नक्शा प्रति, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः प्रकरण में राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का कल्याणपुरा द्वारा दिनांक 11.07.2004 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस का नियमानुसार आंकलन कर राशि जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का कल्याणपुरा द्वारा दिनांक 11.07.2004 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक भौतिक मौका स्थिति में बिना Gw	

पूनमचन्द

मोहनलाल वगै० बनाम जगनसिंह वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्र० नं० - 192/2017	नम्बर अहकाम हुक्म में
	कोई परिवर्तन किये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इस हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प कल्याणपुरा (थोई) के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) कैम्पः–कल्याणपुरा(थोई)	

Scanned by CamScanner